

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2010/1242 दिनांक 20-8-10

1. समस्त प्रधानाचार्य, आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सम्बद्ध चिकित्सालय।
2. निदेशक, ई.एस.आई./भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई।
3. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
7. अधीक्षक, कमला नेहरू क्षेत्रीय क्षय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, अजमेर।

विषय :- सेवारत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी के लिये 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन कोर्स हेतु आवेदन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषय मे लेख है, कि सेवारत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारियों को निम्नांकित विषयो मे 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करने वाले चिकित्सको से संलग्न प्रोफार्म मे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन निर्धारित शर्तें पूर्ण करने की स्थिति मे आपके द्वारा अग्रेषित होकर निदेशालय मे अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) को दिनांक 30.09.10 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावे।

निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर काउन्सलिंग के लिये योग्य चिकित्सको की सूची विभाग की बेबसाईट पर दिनांक 04.10.10 को उपलब्ध करा दी जावेगी तथा उक्त सूची के चिकित्सको को दिनांक 06.10.10 को प्रातः 10:30 बजे निदेशालय मे काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होना है। चयन सूची दिनांक 12.10.10 को विभाग की बेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

चयनित चिकित्सको को निर्धारित बॉण्ड भरकर संबंधित नियंत्रण अधिकारी से कार्यमुक्त होकर दिनांक 16.10.10 तक आवंटित मेडीकल कॉलेज मे प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा।

विषय व निर्धारित सीटें जिनमे प्रशिक्षण दिया जावेगा :-

क्र.सं.	विषय	सीटें
1.	गायनाक्लोजी एण्ड ऑब्स्टेट्रिक्स	40
2.	एनेस्थेसिया	40
3.	रेडियो डायग्नोसिस	40
4.	पैथोलोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजी	40
5.	फिडियाट्रिक्स	40
6.	अस्थमा एण्ड एलर्जी	04

(2)

उक्त प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित चिकित्सक आवेदन हेतु पात्र होंगे :-


1. दिनांक 30.09.10 तक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होना आवश्यक है, जिसमें कम से कम 3 वर्ष की सेवा ग्रामीण/मरू/जनजाति क्षेत्र में अनिवार्य है।
2. दिनांक 30.09.25 से पूर्व चिकित्सक सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिये अर्थात् दिनांक 01.10.65 से पूर्व जन्म लेने वाले चिकित्सक प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं हैं।
3. जिन चिकित्सकों ने 18 सप्ताह का एनेस्थेसिया में प्रशिक्षण या 16 सप्ताह का ई.एम.ओ.सी. (Emergency obstetrics care Training) प्राप्त कर ली है अथवा कर रहे हैं, वे प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् 15 वर्ष की आवश्यक सेवा करनी होगी, जिसमें 5 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा करनी होगी, इसके लिये रुपये 5.00 लाख का बॉण्ड भरकर देना होगा।
5. अस्थमा एण्ड एलर्जी विषय में प्रशिक्षण हेतु 4 सीट सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में आवंटित हैं, जिसके लिये एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के साथ जनरल मेडीसिन /पिडियाट्रिक्स अथवा चेस्ट एण्ड टी.बी. में पी.जी. डिग्रीधारी भी पात्र होंगे।

उक्त प्रशिक्षण के संबंध में निम्नांकित स्थिति पुनः स्पष्ट की जाती है :-

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण की समाप्ति पर परीक्षा ली जावेगी तथा उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।
2. उक्त प्रशिक्षण के आधार पर किसी तरह की पदोन्नति की माँग नहीं की जावेगी।
3. प्रशिक्षण की अवधि को विभागीय प्रशिक्षण काल माना जावेगा, इस अवधि में नियमानुसार देय वेतन भत्ते पदस्थापित कार्यालय के मार्फत भुगतान किया जावेगा।

कृपया सभी चिकित्सकों में इसको प्रसारित कर इच्छुक चिकित्सकों के आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक निदेशालय में व्यक्तिशः पहचाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: आवेदन प्रपत्र।

  
निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

कृ. प. उ.

(3)

कमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2010/

दिनांक 20.8.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध है, कि उक्त आवंटित सीटों का मेडीकल कॉलेजवाईज आवंटन हेतु आदेश जारी कराने का श्रम करावे।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.।
7. निदेशक, आर.सी.एच./एड्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज., जयपुर।
8. उप कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने हेतु।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

## 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र

1. नाम चिकित्सक  
(पूरा नाम लिखे)
2. जन्मतिथि
3. चिकित्सा अधिकारी के पद पर  
नियुक्ति तिथि
4. आयोग से चयन वर्ष
5. वर्तमान पदस्थापन
6. पूर्ण सेवा विवरण

अवधि

पदस्थान स्थान

ग्रामीण/शहरी

1. दिनांक से दिनांक तक
- (2) - - - - -
7. यदि पी.जी. डिग्रीधारी है तो उसका विवरण

8. विवरण जिससे प्रशिक्षण के इच्छु हैं।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा 18 सप्ताह का एनेस्थेसिया में प्रशिक्षण या 16 सप्ताह का ई.एम.ओ.सी. (Emergency obstetrics care Training) प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।

हरताक्षर चिकित्सक